रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102023-249809 CG-DL-E-31102023-249809

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4557]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 31, 2023/कार्तिक 9, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945

No. 4557]

इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4745(अ).—केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 नवंबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में जहाँ तक क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का संबंध है, उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगें।

[फा.सं. 2(1)/2022-सीएल]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में 2000 का अधिनियम संख्यांक 21, तारीख 9 जून, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् 2009 का अधिनियम संख्यांक 10, तारीख 5 फ़रवरी, 2009 द्वारा संशोधित किया गया था।

6893 GI/2023 (1)

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2023

S.O. 4745(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 30th day of November, 2023 as the date on which the provisions of the said Act, insofar as it relates to serial number 32 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act relating to the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), shall come into force.

[F. No. 2(1)/2022-CL]

SANDIP CHATTERJEE, Scientist 'G'

Note : The principal Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, *vide* the Act number 21 of 2000, dated the 9th June, 2000 and subsequently amended *vide* the Act number 10 of 2009, dated the 5th February, 2009.